UPMP040156362026

Presented on : 15-06-2026
Registered on : 01-07-2026
Decided on : 22-07-2026
Duration : 0 years, 1 months, 7 days

IN THE COURT OF
Civil Judge Junior Devision-FTC AT ,Mainpuri
Presided Over by SRI AZAM REHMANI

Criminal Misc. Cases/1889/2026

सुनील बनाम अरविंद।

अन्तर्गत धारा- 173(4) BNSS
थाना- एलाऊ, जिला मैनपुरी ।

दिनांक-22.07.2026

1- पत्रावली आज आदेशार्थ प्रस्तुत हुयी। पूर्व दिनांक पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा- 173(4) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पर आवेदक सुनील कुमार पुत्र श्री मेघ सिंह के विद्वान अधिवक्ता को सुना जा चुका है।

2- प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा- 173(4) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता मय शपथ पत्र आवेदक सुनील कुमार पुत्र श्री मेघ सिंह की ओर से इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी मानसिक रूप से वीमार रहता है तथा कुछ भी समझने की स्थिति में नहीं था प्रार्थी के माता पिता का स्वर्गवास हो चुका है प्रार्थी का इलाज चल रहा था इसी वीच प्रार्थी के गांव के अरविन्द कुमार पुत्र नामालूम नें प्रार्थी की मानसिक स्थिति ठीक न होने के कारण प्रार्थी के नाम की भूमि गाटा सं०- 2354 रकवा 0. 202 हे० का 1/3 भाग जो कि स्थिति ग्राम जगतपुर तहसील भोगांव जिला मैनपुरी पर गलत नजर रखते हुए प्रार्थी को तहसील भेगांव बुलाकर अपने साथ ले गया और वहीं पर कूट रचित तरीके से आधार कार्ड तैयार कराकर प्रार्थी की उक्त भूमि का वैनामा प्रार्थी की ना जानकारी में विना किसी प्रतिफल दिये वैनामा वही सं01 जिल्द सं०- 9792 के पृष्ठ सं0-161 से 176 तक क्रमांक-6042 पर दिनांक 28.05.2025 को वहक अपनी पत्नी श्रीमती राखीदेवी पत्नी अरविन्द कुमार अपने मेली गवाहन साहवसिंह पुत्र फकीरेलाल निवासी विक्रमपुर परगना आलीपुर पट्टी तहसील भोगांव जिला मैनपुरी व उत्तम पुत्र गुलाबसिंह निवासी वीरपुर खुर्द थाना एलाऊ जिला मैनपुरी के सहयोग से करा लिया उक्त वैनामा में प्रार्थी को प्रतिफल के रूप में दिये गये चैक सं0-093582 इण्डो वैक मुवलिग 400,000/ रू0 का दर्शया गया उक्त चैक न तो प्रार्थी को दिया गया और न ही उक्त चैक प्रार्थी के खाते में लगाया गया और न ही प्रार्थी को भुगतान हुआ उक्त लोगों द्वारा घोखाधड़ी करते हुए कूटरचित तरीके से प्रार्थी के असल आधार कार्ड न मिलने पर किती अन्य व्यक्ति के आधार कार्ड पर प्रार्थी का फोटो लगवाकर फर्जी तैयार कराकर फर्जी दस्तावेज तैयार कर लिया गया तथा प्रार्थी को विना प्रतिफल के प्रार्थी को नुकसान पहुंचाने व स्वयं को फायदा पहुँचाने के उददेश्य से प्रार्थी की उक्त भूमि को हड़प लिया गया है जब प्रार्थी मानसिक रूप से स्वस्थ हुआ और दिनांक 24.05.2026 को उक्त लोग प्रार्थी के उक्त गाटा संख्या पर समय करीब 10.00 वजे सुवह ट्रेक्टर लेकर खेत को जुतवाने कब्जा करने के उददेश्य से पहुँचे प्रार्थी द्वारा मना

करने पर उक्त लोगों द्वारा बताया गया कि उक्त खेत का तुझसे वैनामा मैने करा लिया है जिसकी जानकारी प्रार्थी को नहीं हुई थी प्रार्थी द्वारा कहा गया कि मेरे द्वारा कोई वैनामा नहीं किया गया है और न ही मुझे उक्त भूमि का कोई प्रतिफल प्राप्त हुआ है वस इसी वात पर उपरोक्त सभी लोगों ने प्रार्थी के साथ धोखाधड़ी कर प्रार्थी की उक्त भूमि को हडप लिया है तथा उक्त लोगों द्वारा अवैध कब्जा करनें से प्रार्थी द्वारा रोके जाने पर प्रार्थी के साथ गाली गलौज कर मारपीट की गई तथा धमकी दी गई कि यदि कहीं कोई कार्यवाही की तो जान से मार देंगे प्रार्थी उक्त घटना की रिपोर्ट करनें थाना एलाऊ गया जहां पर प्रार्थी की रिपोर्ट नहीं लिखी गई तब प्रार्थी नें एक रजिस्टर्ड प्रार्थना पत्र श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय मैनपुरी को जरिये डांक दिनांक 27.05.2026 को भेजा जिस पर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई तब यह प्रार्थना पत्र. माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर रहा है।

3- प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 173(4) दं०प्र०सं० प्रार्थिया का शपथ पत्र, एस०पी० मैनपुरी को दिया गया प्रार्थना पत्र व रजिस्ट्री की रसीद व बैनामें की छायाप्रति पत्रावली पर दाखिल की है ।समस्त प्रपत्रों का आवलोकन किया। बी०एन०एस०एस० 2023 की धारा 173(4) के प्रावधानों के तहत थाने के द्वारा प्रस्तुत की गयी पुलिस आख्या का अवलोकन किया। थाने की आख्या के अनुसार थाना हाजा के अभिलेखों से आवेदक द्वारा प्रार्थना पत्र में दर्शायी गयी घटना के सम्बन्ध में थाना हाजा पर कोई अभियोग पंजीकृत होना नहीं पाया गया है।

4- सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

5- प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा-173(4) बी.एन.एस.एस. में प्रार्थी द्वारा यह कथन किया गया है कि प्रार्थी के गांव के रविंद्र कुमार द्वारा प्रार्थी की मानसिक स्थिति ठीन न होने के कराण उसे भूमि गाटा सं०-2354 रकवा 0. 202 हे० का 1/3 भाग का बैनामा करवा लिया । प्रार्थी द्वारा यह कथन किया गया है कि कथित बैनामें में दाखिल किया गया चार लाख रुपए का चेक विपक्षी द्वारा प्रार्थी को नहीं दिया गया है। प्रार्थी द्वारा विपक्षी पर धोखा-धड़ी व संपत्ति हड़प कर जाने का आरोप लगाया गया है।

प्रस्तुत पत्रावली में प्रार्थी द्वारा कथिन बैनामें की प्रतिलिपि दाखिल की गई है। उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में पूरा मामला प्रथम दृष्टया रूप से सिविल प्रकृति का लगता है व प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को सिविल प्रकृति वाद को फौजदारी का रूप देते हुए प्रस्तुत किया जाना प्रतीत होता है। इसके अलावा प्रार्थी ने अपनी मानसिक स्थिति खराब होने के संबंध में पत्रावली पर कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य व मेडीकल साक्ष्य व अन्य प्रपत्र प्रस्तुत नहीं किए हैं। **माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि व्यवस्था The Supreme Court's judgment in SRI GULAM MUSTAFA v. THE STATE OF KARNATAKA (2023 INSC 511)** stands as a robust affirmation against the misuse of criminal laws to settle civil disputes. The Hon’ble court quashed the FIR in the present case filed to harras the concerned and thus safeguarding their rights. This decision emphasizes the judiciary's commitment to ensuring that criminal laws are applied judiciously and not exploited to undermine civil rights or business interests. The judgment provides clear guidance on when higher courts should

intervene to prevent abuse of the legal system, reinforcing the principles of justice and fairness.

माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा प्रतिपादित विधि व्यवस्था **2025:AHC:78919 Shalini Rajoria v. State of U.P. and Another Headnote:** While considering applications under Section 156(3) CrPC / 173(4), 175(3) BNSS, the Magistrate must exercise judicial discretion and see whether the allegations disclose real substance; the power is not mechanica है। अतः मामला सिविल प्रकृति का होने के कारण प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है।

आदेश

आवेदक/प्रार्थी सुनील कुमार पुत्र श्री मेघ सिंह का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा- 173(4) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता खारिज किया जाता है।

दिनांक- 22.07.2026

(आजम रहमानी)
सिविल जज (अ०व०) ,एफ. टी. सी. /
14 वां वित्त आयोग, मैनपुरी ।